कार्यालय, अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड प्रथम प्रतापगढ़

क्रमांकः 2022–23/667 दिनांकः– 15/12/2022

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़।

विषयः–Widening & Strentheing of Dhariyawad Pratapgarh Mandsour Road 58/0 Km 59/0 Km & 76/0 Km (SH-81) में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि के सम्बन्ध में।
(FCA Proposal No:-FP/RJ/Road/143853/2021)

प्रसंगः–अति.प्र.मु.व.सं. प्रो. एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए. जयपुर का पत्रांक 3912 दिनांक 22.11.2022 एवं आपका पत्रांक 7173 दिनांक 25.11.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासांगिक पत्र द्वारा लगाये गये आक्षेपों की पुर्ति बिन्दुवार निम्नानुसार है।

क्र. सं.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1.	प्रस्ताव में संलग्न जीटी शीट पर प्रस्तावित रोड़ रक्षित वनखण्ड (चेनेज संख्या 30) में से होकर गुजर रहा है। उक्त वन क्षेत्र प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं है। कारण स्पष्ट करें।	जीटी शीट पर मार्क चैनेज संख्या 30 पर जो रक्षित वन खण्ड दिखाई दे रहा है वह अधिसूचित वन भूमि की श्रेणी में नहीं आता है तथा जीटी शीट पर ग्रीन वॉच किया गया है। उक्त भूमि वास्तविक रूप से गैर वन भूमि है।
2.	पार्ट–I के बिन्दु संख्या ई में रोजगार के सृजन की सूचना सही नहीं है।	पार्ट–I के बिन्दु ई के सम्बन्ध में निवेदन है कि उक्त सड़क के निर्माण कार्य में नियमित कर्मचारी नहीं लग सकते है तथा सड़क के निर्माण कार्य के दौरान संवेदक के ही मजदुर/कर्मचारी कार्य करेगें जिसकी अनुमानित श्रमिक संख्या 20 होगी।
3.	पार्ट–I के बिन्दु संख्या L में प्राप्त गैर वन भूमि किस ग्राम में प्राप्त हुई है। अंकित नहीं है।	जिला कलक्टर प्रतापगढ के द्वारा राजस्व गॉव आमलीखोरा में क्षति पूरक वृक्षा रोपण हेतु गैर वन भूमि का आवंटन किया गया है। पार्ट वन के बिन्दु संख्या 2 में पूर्ति कर दी गई है।
4.	पार्ट–II के बिन्दु संख्या 5 में प्रस्तावित वन भूमि	प्रस्तावित सड़क मार्ग में मृदा के अपरदन को रोकने हेतु

	मृदा एवंज ल संरक्षण कार्य वृत में आति है एवं प्रस्तावित क्षेत्र में मध्यम प्रवृति का अपरदन भूमि की संभावना है। इस हेतु मृदा अपरदन को रोके जाने की कोई उपचार योजना संलग्न नहीं की गई है।	सड़क के आर ओ डब्ल्यु के अन्दर ड्रेनेज (नाली) का निर्माण किया जावेगा तथा आवश्यकतानुसार वृक्षो का रोपण भी किया जावेगा।
5.	उपवन संरक्षक द्वारा पार्ट–II में प्रत्यावर्तित वन भूमि रक्षित वन भूमि अंकित है। स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में उक्त वन खण्ड का उल्लेख अंकित नहीं है एवं अतिरिक्त सूचनाओं में वन खण्ड के राज्य पत्र की प्राप्ति संलग्न नहीं की गई है।	उपवन संरक्षक के कार्यालय से सम्बन्धित है।
6.	प्रस्तावित सडक में पातन होने वाले वृक्षो की सूची चैनेज अनुसार संलग्न नहीं की गई है।	प्रस्तावित सड़क मे हमारे द्वारा किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। अगर कोई वृक्ष हमारी सड़क सीमा (पटरी पर) में आ रहा होगा तो हमारे द्वारा उस पेड़ पर रिफ्लेक्टर लगवा दिया जावेगा। जिससे सड़क दुर्घटना नहीं हो।
7.	उपवन संरक्षक द्वारा संलग्न किये गये स्थल उपयुक्ता प्रमाण पत्र में 1000 से कम पौधे रक्षित नहीं होने का उल्लेख नहीं है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 मार्ग दर्शिका अनुसार प्राप्त गैर वन भूमि में 1000 पौधे लगाये जाने प्रस्तावित है।	उपवन संरक्षक के कार्यालय से सम्बन्धित है।
8.	प्रस्ताव गैर वनभूमि के आस पास कोई वन क्षेत्र होना नहीं दर्शाया गया है। उपवन संरक्षक द्वारा किस प्रकार उक्त भूमि का प्रबन्धन किया जावेगा।	उपवन संरक्षक के कार्यालय से सम्बन्धित है।

① प्रति प्राप्त की
16/12/2022
अमर सिंह

(अशोक कुमार खटीक)
अधिशाषी अभियन्ता,
सा.नि.वि. खण्ड I प्रतापगढ़